

कोर्ट नोटिस प्रकाशनार्थ
समाहरणालय भागलपुर
न्यायालय, वरीय उप समाहर्ता, जिला अभिलेखागार, भागलपुर।

अति अल्पकालीन सूचना
प्रेस विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति सं०- DB No-108/न्या०/विधि

दिनांक- 03.08.2021


चूं वजरिये इस कोर्ट नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम, 2018 की धारा 56 (ख)(ग) के अन्तर्गत अवैध रूप से देशी/विदेशी शराब का परिवहन एवं भंडारण करने के आरोप में निम्नलिखित वाहन एवं भवन/भूखण्ड/घर/दुकान भिन्न-भिन्न थाना काण्डों/उत्पाद अभियोग में जप्त/सील (Seal) कर अधिहरण प्रस्ताव वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर/पुलिस अधीक्षक, नवगछिया/उत्पाद अधीक्षक, भागलपुर के माध्यम से प्राप्त होने के फलस्वरूप विविध उत्पाद अधिहरण वाद प्रारंभ किया गया। उक्त वादों में वाहन/शराब बरामद स्थल के वाहन/जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत किये जाने के बावजूद, उनके द्वारा जप्त/सील (Seal) वाहन/भवन/भूखण्ड/घर/दुकान के लिए कोई दावेदारी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। उक्त जप्त/सील (Seal) वाहन/भवन/भूखण्ड/घर/दुकान अधिहरण योग्य है। जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०	उत्पाद वाद सं०	थाना का नाम व काण्ड सं०	जप्त वाहन भवन/भूखण्ड/घर/दुकान का प्रकार	जप्त वाहन/भवन/भूखण्ड/घर/दुकान का विवरण	गाड़ी मालिक/भवन/भूखण्ड/घर/दुकान के जमाबंदी रैयत का नाम व पता
1	79/21-22	मोजाहिदपुर 339/19	मारुति सुजुकी कार	PB10CM-1534 (जिसका इंजन नं०-2003242, चेचिस नं०-141888)	राजा जनक कु० सिन्हा, पे०-जशपाल कु० सिन्हा, सा०-छटपटी तालाब, क्लबगंज, मिरजानहाट, थाना-मोजाहिदपुर, जिला-भागलपुर
2	71/21-22	शाहकुंड (सजौर) 57/21	मोटरसाईकिल	BR10F-2369	छोटू यादव, पे०-ब्रहमदेव यादव, सा०-मनियारपट्ट, थाना-मधुसुदनपुर, जिला-भागलपुर
3	82/21-22	पीरपैती 11/20	टेम्पू	BR10PA-4415 (जिसका इंजन नं०-R4D2475397 चेचिस नं०-MAILE2FYSE3D66689)	भोली मंडल, पे०-सोखी मंडल, सा०-रानी तालाब, थाना-सबौर, जिला-भागलपुर
4	85/21-22	सन्हीला 89/20	स्कूटी	BR10AA-3887 (जिसका इंजन नं०-E3Y3E0307671 चेचिस नं०-MEISED12CHO125175)	सुभाष चन्द्रा, पे०-बबलू चौधरी, सा०-मुंदीचक, जोखी साह लेन, थाना-तिलकामांझी, जिला-भागलपुर
5	83/21-22	पीरपैती 177/20	टेम्पू	BR10PA-0450 (जिसका इंजन नं०-R2M2260506 एवं चेचिस नं०-MDU40KAPL22AJ0997)	अफरोज आलम, पे०-फारुक, सा०-जामा मस्जिद लेन, थाना-नाथनगर, जिला-भागलपुर
6	84/21-22	बिहपुर 212/19	टाटा मैजिक	BR10GB-3967 (जिसका इंजन नं०-275IDIO7JRYSE6183 एवं चेचिस	रिन्कू देवी, पति-विनोद कुमार चौधरी, सा०-बभनगामा, थाना-बिहपुर, जिला-भागलपुर

				नं०—MAT445238JZJ59745)	
7	89/21-22	कहलगांव (घोघा) 129/21	हिरो स्पेलेन्डर मोटरसाईकिल	BR10AC-5793 (जिसका इंजन नं०— HA10AGKHE62835 एवं चेचिस नं०—MBLHAW088KHE45540)	बजरंगी कुमार, पे०—नंदकिशोर मंडल, सा०—रजन्दीपुर, थाना—सबौर, जिला—भागलपुर
8	106/21-22	जगदीशपुर 340/20	मैजिक मालवाहक	JH10BQ-5884 (जिसका इंजन नं०— 275IDI07GRYSA0808 एवं चेचिस नं०—MAT445075JVG42421)	जुदागी राम, पे०—भुवनेश्वर राम, सा०—हनुमान मंदिर के नजदीक, महावीर नगर भूदा, जिला—धनबाद
9	111/21-22	रसलपुर 761/20	बोलेरो गाड़ी	BR10B-1703 (जिसका चेचिस नं०—2DYDY53560 एवं इंजन नं०—DY53560)	रामचन्द्र प्रसाद पे०—स्व० गनोरी साह, सा०—गोगरी जमालपुर वार्ड नं० 19, खगड़िया
10	114/21-22	जगदीशपुर 412/20	टाटा 407	JH02AD-0969 (जिसका इंजन नं०—497SP67DVY617127 चेचिस नं०— MAT455041E8D11438)	विकास कुमार जैन, पे०—स्व० धरम चन्द जैन, सा०—गागी, थाना—पीटरवर, जिला—बोकारो
11	90/21-22	सबौर (गोराडीह) 295/20	टेम्पू	BR51P-1174 (जिसका इंजन नं०—R9G2086481 चेचिस नं०—MBX0003BFXG894966)	कृष्ण कुमार वर्मा, पे०—सच्चिदानंद प्रसाद, सा०—बाजार, पो०—बटसार, थाना—घोरैया, जिला—बांका
12	80/21-22	सन्हीला 98/20	मोटरसाईकिल	BR10D-3048 (जिसका इंजन नं०—O4616C43113 चेचिस नं०—O4EISM37748)	वेदानंद सिंह, पे०—भूदेव प्र० सिंह, सा०—देवोदेर हासी, बांका
13	94/20-21	उत्पाद अभियोग 12/21	टाटा 407	JH05AL-0254 (जिसका चेचिस नं०—MAT455051B8H3464)	सुरेश प्रसाद, पे०—जगदीश प्रसाद, सा०—HNO-F/169 कालीकापु, छोटा गमहरिया, थाना—सरायकिला, जिला—सरायकिला खरसावन
14	76/21-22	नाथनगर (मधुसुदनपुर) 229/19	जमीन	मौजा—महमदपुर, थाना नं०—354, खाता सं०—120, खेसरा—54, रकबा—06 डी०	हरि चौधरी, पे०—गुलाब चौधरी, सा०—महमदपुर पासी टोला थाना—मधुसुदनपुर, जिला—भागलपुर
15	92/21-22	लोदीपुर 166/20	जमीन	मौजा—अगरपुर, थाना—77, थाना—लोदीपुर, खसरा—2270, रकबा—360 वर्गफीट	उपेन्द्र चौधरी, पे०—स्व० राजेन्द्र चौधरी, सा०—अगरपुर चौधरी टोला, थाना—लोदीपुर, जिला—भागलपुर

अतः एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस जप्त/सील (Seal) वाहन एवं भवन/भूखण्ड/घर/दुकान में किन्हीं व्यक्ति/संस्था का हित निहित हो तो सूचना प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के अंदर स्वयं या वकालतन वरीय उप समाहर्ता जिला अभिलेखागार, भागलपुर के न्यायालय में उपस्थित होकर अपने-अपने वाहन एवं भवन/भूखण्ड/घर/दुकान के मालिकाना हक से संबंधित दावा पक्ष व कागजात प्रस्तुत करें। अन्यथा अनुपस्थित होने की स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त जप्त/सील (Seal) वाहन एवं भवन/भूखण्ड/घर/दुकान से आपको कोई सरोकार नहीं है। तत्पश्चात् उक्त जप्त/सील (Seal) वाहन एवं भवन/भूखण्ड/घर/दुकान को सुनवाई उपरान्त बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम, 2018 की धारा 56 (ख)(ग) एवं 58 (2) के अन्तर्गत राज्यहित में अधिहरण कर लिया जायेगा।

इसे सख्त ताकीद समझे।


समाहर्ता,
भागलपुर।